FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

- मदन पुत्र सुवा, जाति बलाई, उम्र 48 साल निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। —प्रार्थी

बनाम

- प्रेम पत्नी राधाकिशन, जाति बलाई, उम्र बालिग निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। —अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 44/2023

ऑनलाइन नंबर 2023/ 114

वकील प्रार्थी :— योगेश शर्मा — वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.08.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.08.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
18/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगणों को तामीलशुदा सम्मन पेश आये। अप्रार्थी प्रेम उप. वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली दिनांक 01/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई (अजमेर)	ता.मि. प्रेमदेवी गवाह- कानाराम
01/9/23	पत्रावली पेश हुई आज बार एसोसिएशन द्वारा की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराँई	
15/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. [illegible] चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर [illegible]। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/9/23 को पेश हो।	

		हुक्म की तामील में जारी हुए
/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। वादी जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 23/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/7/25 को पेश हो।	
11/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण अनु०। वादी जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 19/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
19-9-25.	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील/प्रतिवादीगण अनु०। बार-बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण के जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली ~~बाद~~ वादी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश पृथक से [illegible] पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी हो। WD	
2		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2023 उनवान मदन वगै0 बनाम प्रेम वगैरह::**

1. मदन पुत्र श्री सुवा, जाति बलाई, उम्र लगभग 4–8 वर्ष, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. रामेश्वर पुत्र श्री सुवा, जाति बलाई, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान –प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम पत्नि श्री राधाकिशन, जाति बलाई, उम्र बालिग, निवासी ग्राम दादीया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. तहसीलदार अरांई जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19/9/2023

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 11.8.2023 को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अरांई, स्थित खसरा संख्या 938/3130 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर (किस्म गै. मु. छापर) है । जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा अर्न्तनिहित है।

प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम दादिया स्थित खसरा संख्या 938/3120 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर भूमि की रिकार्डेड खातेदार है, जो प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में लगती हुई है।तथा खसरा संख्या 938/3127 क्षेत्रफल 0.4854 हैक्टेयर भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, उक्त भूमि जो प्रार्थीगण की भूमि से पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में होकर प्रार्थीगण की भूमि के संलग्न है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य उपरोक्त भूमि का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करती रहती है, जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करती रहती है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, दादीया द्वारा दिनांक 23.05.2022 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थी

प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते हुये प्रार्थीगण की भूमि तक तारबन्दी कर । वाद कारण दिनांक 14.03.2023 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर तारबन्दी कर, अप्रार्थी द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थीगण के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके।चूंकि अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड संधारक है तथा राज्य सरकार का भू-अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावे।

पत्रावली बाद तलबी दिनांक 18.8.2023 को पेश हुई । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री विजयपोषक ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा । अप्रार्थी वकील को बार बार जवाब हेतु समय दिया गया किन्तु अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर दिनांक 19.9.2025 को जवाब बन्द किया गया । दिनांक 19.9.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अराई, स्थित खसरा संख्या 938/3130 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर (किस्म गै. मु. छापर) भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है ।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम दादीया, पटवार हल्का दादीया, भू.अ.नि.क्षेत्र दादीया, तहसील अराई, स्थित खसरा संख्या 938/3130 क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर (किस्म गै. मु. छापर) का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/-रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/- रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19/9/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)